संचिका सं0–10 / पदसृजन–20–03 / 2017........147 (10)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **वित्त विभाग ।**

पटना, दिनांक– 04/ 5 /2018

विषय:– सुपर स्पेशियलिटी न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना तथा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में एक–एक अर्थात् कुल दो हिमेटोलॉजिस्ट के पद सृजन की स्वीकृति ।

आदेश:– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार हीमोफीलिया रोग से पीड़ित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है । इसी क्रम में पटना स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1176(10), दिनांक–22.02.2012 द्वारा हीमोफीलिया केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है । इसी प्रकार पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में भी हीमोफीलिया रोग की चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ किया जाना है । उक्त परिप्रेक्ष्य में हीमोफीलिया रोग से ग्रसित लोगों की चिकित्सा हेतु दोनों संस्थानों में हिमेटोलॉजिस्ट (Heamatologist) का पद होना आवश्यक है।

2. उपरोक्त स्थिति में सुपर स्पेशियलिटी न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल एवं पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में एक – एक अर्थात् कुल दो हिमेटोलॉजिस्ट का पद सृजन किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर
1	हिमेटोलॉजिस्ट	2	Level-9

3. इन पदों के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय 16,41,624/– (सोलह लाख एकतालिस हजार छः सौ चौबीस) रुपये संभावित है।

4. न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में सृजित होने वाले पद से संबंधित भारित राशि का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष–0005–अन्याय औषधालय स्थानीय औषधालय, विपत्र कोड–20-2210012000005 एवं पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सृजित होने वाले पद से संबंधित भारित राशि का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उप शीर्ष–0001–पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20-2210011100001 के अन्तर्गत वेतनादि इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

5. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना के अधीक्षक एवं न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना के निदेशक होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें ।

7. इन पदों के सृजन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

8. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03/5/18

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 147(10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 04-5-2018

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–20.03.2018 में मद संख्या–21 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना/अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 7 एवं 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

03/5/18

सरकार के विशेष सचिव ।